MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2016–17 दिनांक 23 नवम्बर, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु लाभार्थियों की वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाने बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक आदेश दिनांक 17.11.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.11.2016 को किया जा चुका है। वर्ष 2022 तक सभी को आवास के मध्यनजर वर्ष 2018–19 तक के लक्ष्य राज्य सरकार को आवंटित किये जा चुके है उक्त के परीपेक्ष्य में वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में माह अप्रेल, 2016 में ग्राम सभाए आयोजित कर/आपत्तिया प्राप्त कर नियमानुसार वरीयता सूची जिलो द्वारा तैयार की गई है। जिलो द्वारा ग्राम पंचायतवार, SECC-2011 का डाटा उपलब्ध नही होने लाभार्थियों के नाम/विवरण उपलब्ध नही होने सम्बंधी कठिनाईयों से अवगत कराया गया है, साथ ही भारत सरकार द्वारा भी 2 कमरे कच्चे आवास के डाटा उपलब्ध करवाते हुए वर्ष 2016–17 से 2018–19 हेतु एक ही वरीयता सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। जिसके कम में प्रांसगिक आदेश दिनांक 17.11.2016 द्वारा दिनांक 28.11.2016 को ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर दिनांक 10.12.2016 तक आपत्तियां प्राप्त कर, निस्तारण उपरान्त दिनांक 16.12.2016 को अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बंध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1 सेक डाटा–2011 के अनुसार आवाससाफ्ट पर जिले द्वारा प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने उपरान्त ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की प्रदर्शित सूची में शामिल पक्के आवास व आवास योजनाओ के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के नाम अनिवार्य रूप से पृथक किये जावे। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन होने व वरीयता सूची में शामिल होने के उपरान्त स्वीकृति के दौरान यह पाये जाने पर कि लाभार्थी पूर्व में ही लाभान्वित है, के कारण स्वीकृति योग्य नही है, के प्रकरणों में सम्बंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होगे अर्थात किसी भी परिस्थिति में लाभान्वित परिवार व पक्के आवास परिवार का नाम वरीयता सूची में शामिल नही किया जावे।

2 ग्राम सभाओ में शामिल पंचायत समिति/जिला स्तरीय प्रतिनिधि एवं अन्य सम्बंधित को स्पष्ट निर्देश प्रदान कराये जावे कि ऐसे परिवार जो 13 Deprivation की शर्त पूरी करते हो एवं वर्तमान में पक्का आवास नही हो को ही आवास योजना का लाभ देय है। इस तरह की जानकारी विस्तृत रूप से ग्राम सभा में

पढकर सुनावे। योजनान्तर्गत परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड न होने पर ही मान्य होगी।

- ✓ मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।
- ✓ मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
- ✓ किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
- ✓ परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
- ✓ परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
- ✓ परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रू 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
- ✓ इन्कमटैक्स देने पर।
- ✓ व्यवसायिक कर देने पर।
- ✓ स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
- ✓ स्वयं का लेण्डलाईन फोन होने पर।
- ✓ स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
- ✓ 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर।
- ✓ 7.5 एकड भूमि या अधिक का मालिक, एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
- ✓ किसी अन्य आवास योजना से पूर्व में लाभान्वित होने पर।

स्वीकृति के समय किसी ग्राम पंचायत में 5 प्रतिशत से अधिक परिवार अपात्र पाये गये तो इस हेतु ग्राम सभा प्रभारी व सम्बंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे । अर्थात स्वीकृति के समय वरीयता सूची में शामिल 5 प्रतिशत से अधिक परिवार अपात्र पाये गये तो इस हेतु उक्त दोनो कार्मिक जिम्मेदार होगें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कर दिनांक 16.12.2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की ग्राम पंचायतवार/वर्गवार सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

23/11/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,(ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि, जयपुर।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. अधिशाषी अभियंता, (अभि.) आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)